रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092022-239121
CG-DL-E-26092022-239121

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944
No. 642]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय]

(राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 723(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय समूह 'क' एवं 'ख' भर्ती नियम 2002 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी से है और राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय (कनिष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 1994 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ लेखाकार से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय में समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्वति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** –उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता – वह** व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी	*01 (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44900 – 142400/– रू.)

चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	पुनर्नियोजित किये जाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष।	संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के साथ प्रोन्नति] भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के साथ प्रोन्नति): केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार, स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारीः– (क) (i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं : या (ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 6 (35,400–1,12,400 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पाँच वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री। (ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त संगठन या कानूनी संगठन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था में स्थापन या प्रशासन या सुरक्षा में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सुरक्षा प्रबंध या आग बुझाने में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठयक्रम। **टिप्पणी 1** :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग या संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है ,साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2** : ऐसे विभागीय कनिष्ठ लेखा अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 6 (35,400 – 1,12,400 रू.) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा।

			टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन। सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जायेगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले है या रिज़र्व में स्थानांतरित किये जाने वाले है और जिनके पास सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और अर्हताएँ है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जायेगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
विभागी पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) अध्यक्ष 2. अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) सदस्य 3. ज्येष्ठ निदेशक (संग्रहालय) सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)
2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी	*01 (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अननुसचिवीय, राजपत्रित, समूह 'ख'

(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400 – 112400/– रू.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति]	**संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति):** केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार, स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारीः— (क) **(i)** जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं : या **(ii)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 5 (29,200 – 92,300 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर छह वर्ष की सेवा की हो ; या **(iii)** जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 4 (25,500 – 81,100 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के

			पश्चात् उस पद पर आठ वर्ष की सेवा की हो ;और (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा में या समकक्ष पाठयक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और रोकड़, लेखा और बजट कार्य का दो साल का अनुभव रखते हैं। **टिप्पणी 1** : ऐसे विभागीय कनिष्ठ लेखपाल जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (29,200 – 92,300 रू.) में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान या समतुल्य द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा। **टिप्पणी 2** :– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग या संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं होता। विभागीय पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) अध्यक्ष 2. अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) सदस्य 3. ज्येष्ठ निदेशक (संग्रहालय) सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. नं०. 1/49/(2)/2011 – 12 – एन एच एच एम]

शांतमनु, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

MINISTRY OF TEXTILES

Office of the Development Commissioner (Handicrafts)

(NATIONAL HANDICRAFTS AND HANDLOOMS MUSEUM)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2022

G.S.R. 723(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handlooms), Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2002 in so far as it relates to Administrative and Security Officer and National Handicrafts and Handlooms Museum (Junior Accountant) Recruitment Rules, 1994 in so far as it relates to the post of Senior Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method for recruitment to the Group 'B' posts in the office of the National Handicrafts and Handlooms Museum, Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, namely :-

1. **Short title and commencement . -** (a) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2022.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in pay matrix. –** The number of said posts, their classification, and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification . -** No persons,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.
1	2	3
1. Administrative and Security Officer	*01 (2022) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'B'.

Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
4	5	6	7
Level 7, (Rs.44900 - 142400/-) in pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Not applicable.	Two years for Ex-Servicemen on re-employment.	Composite method (Deputation (including short-term contract) plus Promotion) For Ex-Servicemen: Deputation or re-employment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Composite Method (Deputation (including short-term contract) plus Promotion) : Officers of the Central Government, State Government, Union Government Territories, autonomous or statutory organisation, public sector undertaking, University or recognized research Institution :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-6 in the Pay Matrix (Rs.35,400-**1,12,400)** or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- (i) Bachelor Degree from a recognised University or Institute. (ii) two years experience in establishment or administration or security in a Government office or public sector undertaking or autonomous organisation or statutory organisation or university or recognized research Institution. **Desirable**: Diploma or Certificate course in Security Management or Fire Fighting from a recognized university or Institute. **Note 1.** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 2.** Departmental Junior Accounts Officer in the Level 6 in the Pay Matrix (Rs.35,400-**1,12,400)** with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to	Departmental Confirmation Committee consisting of:- 1. Development Commissioner (Handcrafts) – Chairman; 2. Additional Development Commissioner (Handcrafts) – Member; 3. Senior Director (Museum) - Member.	Consultation with UPSC is not necessary.

the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 3.** Deputation or Re-employment. The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and educational qualification prescribed for direct recruits shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. Note for re-employment of Armed Forces Personnel as per Department of Personnel & Training guidelines.		

1	2	3
2. Junior Accounts Officer	*01 (2022) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group `B'

4	5	6	7
Level 6 (Rs.35400-112400/-) in pay matrix	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11
Not applicable.	Two years for Promottee.	Composite method (Deputation (including short-term contract or Promotion).	Composite Method (Deputation (including short term contract)/ Promotion) : Officers of the Central Government, State Government, Union territories, autonomous or statutory organisation, Public sector undertaking, University or recognized research institutes :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-5 of the Pay Matrix (Rs.29,200-92,300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-4 of the Pay Matrix (25,500-81,100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretarial Training & Management or equivalent course and possessing two years experience of cash, accounts and budget work. **Note 1.** Departmental Junior Accountant in Level 5 of the Pay Matrix (Rs.29,200-92,300) with six years of regular service in the grade and have qualified the raining in cash and accounts work conducted by Institute of Secretarial Training & Management or equivalent is also to be considered along with outsiders. If the

			departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2**. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

12	13
Departmental Promotion Committee : **Not Applicable** **Departmental Confirmation Committee :** 1. Development Commissioner (Handcrafts) - Chairman 2. Additional Development Commissioner (Handcrafts) – Member 3. Senior Director (Museum) – Member.	Consultation with UPSC is not necessary.

[F. No. 1/49(2)/2011-12/NHHM]

SHANTMANU, Development Commissioner (Handicrafts)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.09.26 16:48:27 +05'30'